न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 10/2017

अनवान : –

1. रामप्रताप पुत्र सहीराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. कुम्भाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. रामजीलाल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर–फौत

2/1 रामप्यारी पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2/2 विनोद पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2/3 सुभाष पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

3. रामस्वरूप पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. रणवीर पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. धर्मपाल पुत्र परमाराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

– असल अप्रार्थीगण

6. बनवारी पुत्र लिछमण जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. बलराम पुत्र लिछमण जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. रामरख पुत्र लिछमण जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. रामजीलाल पुत्र सहीराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. रामकिशन पुत्र भादरराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. शेराराम पुत्र भादरराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. नानकराम पुत्र भादरराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–1. **श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अप्रार्थी**
3. **पेरोकार राज**

निर्णय **दिनांक:** 20/12/23

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अन्तर्गत पेश किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 4 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 32/28 के प0न0 95/22(2) के कि0न0 14 ता 18, 21 ता 23 की 2.0240 हैक्ट तथा तरतीबी गैरसायलान न0 9 ता 12 के खाता संख्या 9/21 के प0न0 95/21(1) के कि[illegible] 21 की 0.506 हैक्ट, प0न0 95/22(2) के कि0न0 1 की 0.253 हैक्ट, प0न0 95/14(3) के [illegible], 14 ता 17 व 24, 25 की 2.5300 हैक्ट, प0न0 95/15(18) के कि0न0 1 ता 10 की 2.3550 हैक्ट कुल [illegible] 5.6420 हैक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:17 IST
Reason: SelfAttested

गैर सायल संख्या 9 की खाता संख्या 18/15 के प0न0 95/21(1) के कि0न0 22/2 की .180, प0न0 95/22(2) के कि0न0 9 ता 12 19/1 व 20/1 की 1.7330 हैक्टकुल 1.9150 हैक्ट गैरसायल संख्या 6 ता 8 की खाता संख्या 19/15 की प0न0 95/22(2) के कि0न0 13/2, 19/2, 20/2 की 0.630 हैक्ट तथा गैरसायल संख्या 7 की खाता संख्या 20/15 के प0न0 95/21(1) के कि0न0 14/3, 17, 24, 25 की 0.9020 हैक्ट, प0न0 95/22(2) के किला न0 4 ता 7 की 1.0120 हैक्ट कुल 1.9140 हैक्ट तथा गैरसायल संख्या 8 की खाता संख्या 33/15 के प0न0 95/21(1) के किला न0 13, 14/4, 18, 19, 22/1, 23 की 1.1800 हैक्ट, प0न0 95/22(2) के किला न0 3, 8, 13/1 की .7340 हैक्ट कुल 1.9140 हैक्ट भूमि है। सायल व तरतीबी गैरसायल के चिपते हुए गैरसायल न0 1 ता 4 की खाता संख्या 7/6 में प0न0 95/22(2) के कि0न0 24, 25 की .506 हैक्ट, प0न0 95/23(19) के कि0न0 1 ता 19, 22/2, 23/1, 23/2, 25/1 की 5.6180 हैक्ट भूमि प0न0 95/24(20) के कि0न0 3 ता 5 की .759 कुल 6.8830 हैक्ट तथा गैरसायल न0 5 की खाता संख्या 14/10 में प0न0 95/15(18) के कि0न0 6/1, 11/1, 20/1, 21/3, 22/1, 23/2, 24/1, 25/1 की 1.4430 हैक्ट प0न0 95/23(19) के कि0न0 20, 21/2 की कुल 1.8980 हैक्ट भूमि है।

सायल व तरतीबी गैरसायल न0 6 ता 12 अपने खेत में आवागमन हेतु मंजुर शुदा रास्ता से होकर प0न0 95/23(19) के कि0न0 1, 10, 11, 20, 21 में पश्चिम दिशा से होकर अपने खेत में प्रवेश करते है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नही है तथा यही सबसे नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है। सायल व गैरसायल संख्या 6 ता 12 हमेशा से ही इसी रास्ता से आवगामन करते है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से हमेशा विवाद का डर रहता है तथा असल गैरसायलान इस रास्ते को बंद करने की धमकी देते रहते है। इसलिए उक्त रास्ता को मंजुर किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे तथा बदले में बाजार भाव से जितनी राशी बनती है प्रार्थीगण देने के लिए तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 4 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 7/6 के प0न0 95/23(19) के कि0न0 1, 10, 11 तथा खाता संख्या 14/10 में प0न0 95/23(19) के कि0न0 20, 21/2 में पश्चिम दिशा दक्षिण से उत्तर 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की तरफ से अधिवक्ता श्री विजय सिंह कड़वासरा ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया की उत्तरदाता के खेत में से सायल व तरतीबी गैर सायल का रास्ता कभी नही रहा है अप्रार्थीगण नियम विरूद्ध रास्ते की मांग कर रहे है। सायल के खते का रास्ता पहले गन्धेली से बिरकाली मूल रास्ता 33 फुट चलता है तथा इससे फंटकर 16–1/2 फुट का रास्ता चलता है तथा किला न0 1, 10 उनके परिवार के सदस्यों के खेत तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों का खेत है उनमें से रास्ता लेना चाहिए तथा यह प्रार्थना पत्र सायल व तरतीबी गैरसायलान ने मिलकर दुर्भावना से गलत आधार पर पेश किया है जो काबिल अपास्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:17 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी स0 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उक्त रास्ता कभी नही रहा है। प्रार्थी के खेत के लिए पूर्व में रास्ता मौजूद है उस रास्ता को न मांगकर गैरसायल अप्रार्थी के खेत में नियम विरूद्ध रास्ता की मांग कर रहे है। उक्त रास्ता स्वीकृत होने से गैरसायल स0 5 के खेत के टूकड़े हो जाते है तथा काश्त के योग्य नही रहता है प्रार्थना पत्र सायल इसी आधार पर खारिज योग्य है। अगर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो रास्ता के बदले की भूमि में उतनी ही भूमि अप्रार्थी को दिलायी जावे।

तहसीलदार नोहर के पत्रांक 1307 दिनांक 07.09.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण रोही मौजा 4 पीपीएम के मु0न0 19 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 का प्रयोग करते है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सायल अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग –उपभोग के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ता का उपयोग करता है। इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः अप्रार्थीगण के रोही मौजा 4 पीपीएम के मु0न0 19 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 तक एक–एक बिस्वा रास्ता मंजुर करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की उक्त रास्ता का कभी भी अप्रार्थीगण द्वारा उपयोग नही किय गया हैं सायला के खेत में पूर्व में रास्ता मौजूद है तथा वह उस रास्ता का ना मांगकर गैरसायल अप्रार्थी के खेत में नियम विरूद्ध रास्ता की मांग कर रहे है प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमनें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों, अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक दुसरे के खेत पड़ोसी है। सायल के कथनानुसार सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए स्वीकृतशुदा रास्ता नही है जिसे स्वीकार करवाना चाहता है। तहसीलदार नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी रोही मौजा 4 पीपीएम के मु0न0 19 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 के रास्ते से होते हुए अपनी खातेदारी में प्रवेश करता है जो की सबसे सुविधाजनक व छोटा रास्ता है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना न्यायोचित है तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता नही है जो गैरसायलान के रोही मौजा 4 पीपीएम के मु0न0 19 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 में दिया जाना न्यायोचित है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 4 पीपीएम के खाता संख्या 7/6 के प0न0 95/23(19) के कि0न0 1, 10, 11 तथा खाता संख्या 14/10 में प0न0 95/23(19) के कि0न0 20, 21/2 में पश्चिम दिशा में द[illegible] बिस्वा रास्ता स्वीकार किया जाता है तथा रास्ता में गैरसायलान की जितनी भूमि [illegible] है उसके बदले में सायल गैरसायल को डीएलसी दर की दुगुनी राशि अदा [illegible] गये रास्ते में गैरसायलान की 5 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:17 IST
Reason: SelfAttested

भूमि आती है। रास्ते की भूमि में आने वाली भूमि की डीएलसी दर (1070000—प्रति हैक्ट) अर्थात एक बिस्वा भूमि की कीमत (13536 रू) है। जिसकी दुगुनी दर से कुल रास्ते में आने वाली 5 बिस्वा की दुगुनी कीमत (135360रू) है। उक्त तहसील कार्यालय नोहर में जमा करवाने के उपरांत ही किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि सायल के रास्ते में आने वाली भूमि कि किमत (....रू) प्राप्त की जाकर नियमानुसार गैरसायलान को भुगतान किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार को पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:17 IST
Reason: SelfAttested